FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Panchkula **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0001 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 19/01/2025 19:24 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)E

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/04/1998 **Date To (दिनांक तक):** 31/05/2006

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/01/2025 **Time (समय):** 18:43 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 005 **Date and Time (दिनांक और समय):** 19/01/2025 18:43 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH-EAST, 2 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): PANCHKULA,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** INSP AMIT KUMAR

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 01/06/1982 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**ACB PKL, ACB, Panchkula, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**ACB PKL, ACB, Panchkula, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9466633634

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	अनुप कुमार गचली जिला प्रबंधक			1. हरियाणा एग्रो इण्डस्ट्रीज,कार्पोरेशन लिमिटिड पंचकूला PANCHKULA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल लेख इस प्रकार से है

सेवा में,

प्रबन्धक थाना,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

सेक्टर -17 पंचकूला।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि जांच क्रमांक 10 दिनांक 13.12.2019 पंचकुला,शिकायतकर्ता श्रीमति लवली पत्नी अनूप कुमार गचली निवासी म0न0 20-डी सनी इन्कलेव खंरड मोहाली (पंजाब) की शिकायत पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक 66/70/2019-3/चौ-II/201901133 दिनांक 10.12.2019 व कार्यालय महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरों, हरियाणा, पंचकुला के पत्र क्रमांक 19280/आई0-1/रा0चौ0ब्यू0ह0 दिनांक 13.12.2019 के अनुसार पड़ताल हेतू प्राप्त हुई थी। जिसमें यह आरोप था, कि श्री अनुप कुमार गचली, जिला प्रबन्धक हरियाणा एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटिड विभाग, पंचकुला द्वारा अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करके व भ्रष्टाचार में लिप्त होकर बहुत बड़ी मात्रा में नाजायज स्त्रोतों से अवैध धन/सम्पत्ति एकत्रित करना तथा बबीता मेहता के साथ संयुक्त बैंक खाता खुलवाकर करोड़ो रुपयें की राशि जमा करवाना तथा अन्य सम्पतियों की खरीद करना।

जाँच की पडताल में पाया गया कि प्रतिवादी श्री अनुप कुमार गाचली, जिला प्रबंधक, हरियाणा एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटिड मे दिनांक 01.04.1998 को बतौर जिला प्रबंधक नियुक्त हुआ था, जिसकी शादी दिनांक 06.10.1997 को लवली पुत्री सतपाल के साथ हुई थी, जो सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी, इलेक्ट्रोनिकी एवम सूचना प्रौदयोगिकी मंत्रालय, सैक्टर-72, मोहाली, पंजाब मे पहले से ही नौकरी पर थी। प्रतिवादी व उसकी पत्नी का दिनांक 08.06.2019 को आपसी झगड़ा होने के कारण दिनांक 08.06.2019 से अलग-2 रहने पाए गए। प्रतिवादी अपनी पत्नी के साथ करीब 22 वर्ष तक साथ रहा। जो साथ रहने के दौरान प्रतिवादी व उसकी पत्नी द्वारा संयुक्त रुप से चल व अचल सम्पतियां खरीदी व बेची गई। प्रतिवादी व उसकी पत्नी श्रीमति लवली सरकारी विभागों में कार्यरत होने के कारण दोनों की आय-व्यय को जांच में शामिल किया गया है तथा दोनो की संयुक्त आय-व्यय विवरणी तैयार की गई है।

प्रतिवादी को एक फलैट न0 2002-एम0आई0जी0, सैक्टर-66, मोहाली पंजाब में वर्ष 2000 में प्रतिवादी के नाम 6,83,000/- रुपयें में अलाट हुआ था, जिसको प्रतिवादी द्वारा वर्ष 2006 में 8,00,000/- रुपयें में बेचा जाना पाया गया है।

प्रतिवादी द्वारा एक मकान न0 84 ग्रीन इन्कलेव दांऊ, मोहाली वर्ष 2006 में 11,50,000/- रुपयें में खरीद किया गया था, जिसके निर्माण पर वर्ष 2009 में 8,00,000/- रुपये खर्च किये गये थे।

प्रतिवादी द्वारा एक फ्लैट न0 3, गुलमोहर सिटी एक्सटैन्शन, डेरा बस्सी मोहाली पंजाब में वर्ष 2009 में 13,21,000/- रुपयें में खरीद करना पाया गया। जिसके लिये प्रतिवादी अनूप गाचली द्वारा ICICI बैंक से 8,12000/- रुपयें लोन लिया जाना पाया गया। इस फलैट को प्रतिवादी द्वारा मई 2012 में 13,21,000/- रुपयें में ही बेचा जाना पाया गया।

प्रतिवादी की पत्नी श्रीमति लवली को वर्ष 2015 में फ्लैट न. 2274-सी0 सैक्टर-63, चण्डीगढ़ में 33,43,060/- रुपयें में अलाट होना पाया गया, जिसके लिये प्रतिवादी की पत्नी द्वारा एल0आई0सी0 हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड चण्डीगढ़ से 25,50,000/- रुपये का लोन लिया जाना पाया गया। प्रतिवादी की पत्नी द्वारा यह फलैट वर्ष 2018 में 55,00,000/- रुपयें में श्रीमति माधवी बजाज को बेचा जाना पाया गया।

प्रतिवादी व उसकी पत्नी द्वारा वर्ष 2018 में म0न0 20-डी0 सन्नी इन्कलेव, सैक्टर-125, मोहाली (पंजाब) 52,50,000/- रुपयें में दोनो के नाम खरीद किया जाना पाया गया, जिसकी खरीद पर प्रतिवादी व उसकी पत्नी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से 40,00,000/- रुपये का लोन लिया जाना पाया गया।

प्रतिवादी श्री अनूप गाचली द्वारा वर्ष 2010 में एक कार न0 PB-65K.8907 मार्का TATA INDIGO CS LX कुल 4,71,471/- रुपयें में खरीद करना पाया गया।

प्रतिवादी की पत्नी श्रीमति लवली द्वारा एक कार न0 PB65-S-7129 मार्का वेरिटो महिन्द्रा वर्ष 2012 में 6,04,868/- रुपयें में खरीद की गई थी।

प्रतिवादी अनूप गाचली द्वारा एक कार न0 PB-65AE.9909 क्रेटा वर्ष 2015 में अपने नाम से 11,86,530/- रुपयें में खरीद की जानी पाई गई।

इसके अतिरिक्त जांच की पड़ताल के दौरान प्रतिवादी व उसके परिवार के सदस्यों के नाम कोई अन्य जमीन, मकान, दुकान, प्लाट वगैरा पंजीकत होना नही पाया गया। जांच की पड़ताल के दौरान प्रतिवादी के अलग-2 बैंक खातों की स्टेटमैन्ट प्राप्त की गई जो प्रतिवादी के पंजाब नैशनल बैंक मोहाली व एच0डी0एफ0सी0 बैंक चण्डीगढ़ के खातों अनुसार बबीता मेहता द्वारा प्रतिवादी अनूप गाचली को कुल 11,50,000/- रुपयें उधार दिये जाने पाये

गये है, जिसकी एवज में प्रतिवादी द्वारा बबीता मेहता को कुल 11,26,743/- रुपयें वापिस किये जाने पाये गये है। इसके अतिरिक्त पंजाब नैशनल बैंक दिलशाद गार्डन नई दिल्ली में खोले गये बैंक खाता न0 3927000100258489 की पड़ताल की गई जो उक्त खाता श्रीमति बबीता मेहता के नाम से खोला जाना पाया गया है, जो कि प्रतिवादी अनुप कुमार गाचली के साथ संयुक्त खाता (Joint Account) होना नही पाया गया है।

जो आय-व्यय विवरणी के अनुसार अप्रैल 1998 से अगस्त 2000 तक प्रतिवादी व उसकी पत्नी श्रीमति लवली की कुल 2,39,767/- आय होनी पाई गई है और प्रतिवादी को एक फलैट न0 2002 एम0आई0जी0 सैक्टर-86, मोहाली पंजाब में दिनांक 08.08.2000 को अलॉट होने पर 6,83,000/- रुपयें खर्च किये जाने पाये गये है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा अप्रैल 1998 से अगस्त 2000 तक प्राप्त उपरोक्त आय से 4,43,233/- रुपयें अधिक खर्च किये जाने पाये गये है।

आय-व्यय विवरणी के अनुसार सितम्बर 2000 से मई 2006 तक प्रतिवादी व उसकी पत्नी श्रीमति लवली द्वारा प्राप्त किये गये वेतन व अन्य स्त्रोतों से कुल 8,94,135/- आय होनी पाई गई है। प्रतिवादी द्वारा इस समय अवधि के दौरान मकान न0 84 ग्रीन इन्कलेव दांउ जिला मोहली पंजाब पर दिनांक 09.05.2006 को 11,50,000/- रुपयें खरीद करने में खर्च किये जाने पाये गये है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा सितम्बर 2000 से मई 2006 तक प्राप्त उपरोक्त आय से 2,55,865/- रुपयें अधिक खर्च किये जाने पाये गये है।

प्रतिवादी अनूप कुमार गाचली द्वारा कोई भी प्रोपर्टी खरीदने के सम्बन्ध में अपने विभाग से कोई अनुमति लेनी नही पाई गई है। प्रतिवादी की पत्नी श्रीमति लवली गाचली जांच में शामिल नही हुई। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी की पत्नी जोकि केन्द्रीय सरकार की कर्मचारी है, द्वारा भी सम्पत्ति खरीद से सम्बन्धित विभाग को जानकारी/अनुमति लेने बारे नहीं बताया और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया।

आय-व्यय विवरणी के अनुसार अप्रैल 1998 से अगस्त 2000 तक प्रतिवादी व उसकी पत्नी की जायज स्त्रोतों से कुल 2,39,767/- रुपयें आय होनी पाई गई है तथा इस समय अवधि में प्रतिवादी द्वारा 6,83,000/- रुपयें खर्च किये जाने पाये गये है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा अपनी जायज आय से 4,43,233/- रुपयें अधिक खर्च किये जाने पाये गये है।

इसी प्रकार सितम्बर 2000 से मई 2006 तक प्रतिवादी व उसकी पत्नी की जायज स्त्रोतों से कुल 8,94,135/- रुपयें आय होनी पाई गई है, जो इस समय अवधि के दौरान प्रतिवादी द्वारा कुल 11,50,000/- रुपयें खर्च किये जाने पाये गये है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा अपनी आय से 2,55,865/- रुपयें अधिक खर्च किये जाने पाये गये है, जिस बिनाह पर प्रतिवादी अनूप कुमार गाचली जिला प्रबन्धक, हरियाणा एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, पंचकुला तथा प्रतिवादी की पत्नी श्रीमति लवली गाचली, सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी, इलैक्ट्रानिकी एवम सूचना प्रौदयोगिकी मंत्रालय, सैक्टर-72, मोहाली, पंजाब के विरुद्ध जेरे धारा 13(1)ई0 R/W 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तगर्त अभियोग अंकित किए जाने के सुझाव सहित अन्तिम रिपोर्ट महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पत्र क्रमांक 1453/रा0चौ0ब्यू0ह0 दिनांक 25.01.2023 माध्यम से मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजी गई ।

जाँच रिपोर्ट का परीक्षण करने उपरान्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 66/70/2019-6VII दिनांक 19.01.2025 अनुसार श्रीमति लवली गाचली, सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी, इलैक्ट्रानिकी एवम सूचना प्रौधोगिकी मंत्रालय, सैक्टर-72, मोहाली, पंजाब के विरुद्ध धारा 13(1)(E) R/W 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तगर्त अभियोग अंकित करने के लिए सचिव इलैक्ट्रानिक्स और सूचना प्रोधौगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इलैक्ट्रानिकस निकेतन, 6, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली को लिखा है। मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 66/70/2019-6VII दिनांक 19.01.2025 व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पृष्ठांकन क्रमांक 1197/I-1/ACB(H) दिनांक 19.01.2025 अनुसार प्रतिवादी श्री अनुप कुमार गचली, जिला प्रबंधक, हरियाणा एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटिड पंचकूला के विरुद्ध धारा 13(1)(E) R/W 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तगर्त अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त हुए है। जिनकी अनुपालना में लेख लिखकर बराये करने अंकित अभियोग आपके पास भेजा जा रहा है। जिस पर अभियोग अंकित करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां स्पैशल जज अदालत पंचकूला व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जाए। अभियोग की पुलिस फाइल व असल लेख आगामी अनुसंधान हेतु अन्य अनुसंधान अधिकारी के हवाले किया जाए। अज- थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकूला। SD AMIT KUMAR (अमित कुमार, निरीक्षक) भ्र. नि. ब्यू., पंचकूला, दिनांक 19.01.2025

AT 6.30 PM, अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग नम्बर 01 दिनाँक 19.01.2025 धारा 13(1)(e) R/W 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला अंकित करके स्पैशल रिपोर्ट ई. मेल के माध्यम से स्पैशल मैजीस्ट्रेट साहब, जिला पंचकूला की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है । असल तहरीर व अभियोग की पुलिस फाईल आगामी अनुसंधान हेतु अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करने के लिए उच्च अधिकारियों को अलग से पत्र लिखा जाएगा । इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** amit kumar **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): psi **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Manisha Choudhary

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male	1975				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)